कार्यालय अति० महानिदेशक पुलिस ( अपराध ) राज०, जयपुर।

क्रमांकः– स3 (5) पु.अप/आर्थिक/कॉपीराइट/04/151-198 दिनांक :– 22-02-08

समस्त महानिरीक्षक पुलिस रैन्ज,
राजस्थान

समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण,
राजस्थान मय जीआरपी (अजमेर एवं जोधपुर),

विषयः– मोबाइल चिप्स पर संगीत चोरी–भारतीय कॉपीराइट अधिनियिम (संशोधित) 1957 के अन्तर्गत संज्ञेय व अजमानतीय अपराध।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है सम्पूर्ण राजस्थान में इस वर्ष भारतीय कापीराइट अधिनियम के अन्तर्गत संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई है। अभी तक इस अधिनियम के अन्तर्गत जितनी कार्यवाही हुई है वह भी परम्परागत तरीके से ओडियो/ विडियो कैसेट एवं सीडीज की अवैध रिकार्डिंग के विरूद्ध कार्यवाही तक ही सीमित है। परन्तु वर्तमान में आधुनिक तकनीक के माध्यम से ऑनलाईन म्यूजिक पायरेसी बडे पैमाने पर की जा रही है जिसमें पायरेसी करने वाले म्यूजिक एल्बम एवं वीडियो को कम्प्यूटर की मदद से मोबाइल की मैमोरी में, मल्टीमीडिया कार्ड्स, आई पोड्स में डाउनलोड करके बेचते है। इस प्रकार के मैमोरी उपकरणों में डाउनलोड की गई सामग्री में अश्लील कृतियाँ भी डाउनलोड की जाती है। इस प्रकार की पायरेसी से न केवल कापीराइट धारक एवं कलाकारों को उनकी वैध आय से वंचित होना पडता है वरन सरकार को भी राजस्व की हानि होती है।

इस प्रकार की पायरेसी करने वाले कम्प्यूटर पर विभिन्न क्षमताओं की मोबाईल चिप्स पर कार्ड रीडर के माध्यम से गानों की रिकार्डिंग कर चिंप को मोबाईल फोन में लगा देते है। एक चीप की क्षमता 100 से 1000 गाने स्टोर करने तक हो सकती है। इस प्रकार यह अवैध व्यवसाय व्यापक रूप धारण कर शहरों से कस्बो एवं गांवों तक फैल गया है।

मोबाईल चिप्स पर की गई साउण्ड रिकार्डिंग भी कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2(एम)(iii) में दी गई परिभाषा के अनुसार अवैद्य कॉपियां है जो धारा 52-ए(1) में निहित व्यवस्था का पालन नहीं करती। साउण्ड रिकार्डिंग का तात्पर्य धारा 2 (xx) में दी गई परिभाषा के अनुसार किसी भी माध्यम (मोबाइल चिप सहित) पर किसी भी तकनीक से रिकार्डिंग करने से है जिसमें पुनः वही ध्वनि मूर्तरूप में उत्पन्न करने की क्षमता हो। इस प्रकार मोबाइल चिप्स पायरेसी भी धारा 51 सपठित धारा 63 के अन्तर्गत संज्ञेय व अजमानतीय अपराध है। धारा 52–ए में दी गई आज्ञापक व्यवस्था का उलंघन होने पर धारा 68–ए के अन्तर्गत संज्ञेय व अजमानतीय अपराध है। कापीराईट एक्ट की कार्यवाही के दौरान इन म्यूजिक विडिया पार्लर के कम्प्यूटर उपकरणों में मैमोरी कार्ड्स में डाउनलोड करने सम्बन्धी अश्लील सामग्री पाई जाने पर संबंधित धाराओं का भी प्रयोग किया जावे।

अतः म्यूजिक पायरेसी विशेषकर ऑनलाईन अथवा मैमोरी कार्ड्स से कम्प्यूटर उपकरणों की सहायता से कापीराइट अधिनियम का उलंघन कर होने वाले अपराध की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

पुलिस अधीक्षक
(विशेष एवं आर्थिक अपराध)